The final signed approval certificate can be downloaded from UP Pollution Control Board's website at http://uppcb.com/online/frmDownloadPermission.aspx

The same can also be downloaded from the state's single window portal – Nivesh Mitra, which can be accessed at http://nm.udyogbandhu.com/
(Dummy login for the portal is **ID**: testentp1@gmail.com, **Password**: SnLMV0PC)

The procedure is described at http://www.uppcb.com/pdf/flow_chart_24march15.pdf as well as http://nm.udyogbandhu.com/topic.aspx?Cid=6

A sample certificate is attached below.

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी./12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या F69654 सी–6/एन0ओ0सी0/207/2015 दिनाँक 24/11/15

सेवा में,

मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0,(बेतालपुर डिपो)
ग्राम–बेतालपुर, तहसील–सिलहट,
जनपद–देवरिया।

विषय :–जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत उद्योग में क्षमता विस्तारीकरण से पूर्व सहमति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक 16–4–15 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामन्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क)	**स्थल**	: मै0 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० ग्राम बेतालपुर ,तह० सिलहट, जनपद–देवरिया
(ख)	**उत्पादन क्षमता**	: निम्न नये टैंकों के भंडारण व पुराने टैंको में परिवर्तन हेतु **<u>भूमिगत नये टैंक</u> 1–सुपर केरोसीन आयल हेतु क्षमता 50 केएल 2–एथानाल हेतु क्षमता100 के॰एल॰/प्रत्येक के 2 टैंक, (बी) भूमि के अपर स्टोरेज परिवर्तन, 1–मोटर स्प्रिट क्षमता572 केएल x 2के स्थान पर सुपर केरोसीन आयल के भंडारण हेतु , 2– सुपर केरोसीन आयल क्षमता 4320 केएल के स्थान पर मोटर स्प्रिट के भंडारण हेतु। 250 एवं 150 केवीए क्षमता के डीजी सेट की स्थापना।**
(ग)	**मुख्य कच्चे माल**	: भंडारण टैंक तथा जनरेटर सेट की स्थापना हेतु सामग्री
(घ)	**औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा**	: शून्य
(ङ.)	**प्रयुक्त ईधन**	: डीजल 150 तथा 250 केवीए डीजी सेट हेतु

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की जाए एवं प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में क्षमता विस्तारीकरण तक तक प्रारम्भ नहीं करे जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवम् वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में क्षमता विस्तारीकरण के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति दस

7. उद्योग द्वारा क्षमता विस्तारीकरण से पूर्व बोर्ड से ट्रायल सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु दो माह पूर्व आवेदन किया जाये।

8. इकाई द्वारा क्षमता विस्तारीकरण से पूर्व प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित की जाये

9. उद्योग से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जाये।

10. उद्योग परिसर के 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाये।

11. उद्योग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।

12. बल्क डिपो परिसर के अंदर टैंकों की स्थापना तथा पहले से स्थापित टैंकों में फल्यूड भंडारण हेतु परिवर्तन इस प्रकार किया जाये कि आसपास की आबादी तथा पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडे।

13. बल्क डिपो परिसर के अंदर दुर्घटना की स्थिति से बचाव हेतु नये प्रस्तावित टैंकों के सम्मिलित करते हुये कारखाना विभाग से अनुमोदित आन साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तीन माह के अंदर राज्य बोर्ड को जमा किया जाये।

14. उद्योग के फायर फाइटिंग व्यवस्था के रखरखाव अग्निशमन विभाग व कारखाना विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाये।

15. 250 तथा 150 केवीए के जनरेटर सेट के इक्जास्ट की ऊचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये तथा ध्वनि नियंत्रण हेतु उचित क्षमता का एकास्टिक इन्क्लोजर्स स्थापित किया जाये।

16. शर्त सं0–12,13, तथा 14 का अनुपालन न करने पर बैंक गारंटी संख्या 0999515 बीबीजी 001603 दिनांक 1–9–15 धनराशि रू0 50,000/–(रू0 पचास हजार) मात्र बोर्ड के पक्ष में जब्त की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में **एक माह** तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एस0सी0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

पर्यावरण अभियंता
(वृत्त–6)